



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012025-260412
CG-DL-E-23012025-260412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946

No. 42]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 71(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित करती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 कहा जाएगा।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 की अनुसूची में,-
(क) अनुसूची-ख में, क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

- “28. 4-पिपेरिडोन
- 29. 1-बीओसी-4-पिपेरिडोन,
- 30. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, इथाइल एस्टर
- 31. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, प्रोपाइल एस्टर
- 32. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, आइसोप्रोपाइल एस्टर
- 33. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, ब्यूटाइल एस्टर
- 34. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, आइसोब्यूटिल एस्टर
- 35. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, सेक-ब्यूटाइल एस्टर
- 36. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, टर्ट-ब्यूटाइल एस्टर
- 37. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड
- 38. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, मिथाइल एस्टर
- 39. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, इथाइल एस्टर
- 40. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, प्रोपाइल एस्टर
- 41. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, आइसोप्रोपाइल एस्टर
- 42. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, ब्यूटाइल एस्टर
- 43. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, आइसोब्यूटिल एस्टर
- 44. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, सेक-ब्यूटाइल एस्टर
- 45. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, टर्ट-ब्यूटाइल एस्टर”

(ख) अनुसूची ग में, क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

- “28. 4-पिपेरिडोन
- 29. 1-बीओसी-4-पिपेरिडोन,
- 30. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, इथाइल एस्टर
- 31. 3-4-एमडीपी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, प्रोपाइल एस्टर
- 32. 3-4-एमडीपी -2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, आइसोप्रोपाइल एस्टर
- 33. 3-4-एमडीपी -2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, ब्यूटाइल एस्टर
- 34. 3-4-एमडीपी -2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, आइसोब्यूटिल एस्टर
- 35. 3-4-एमडीपी -2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, सेक-ब्यूटाइल एस्टर
- 36. 3-4-एमडीपी -2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, टर्ट-ब्यूटाइल एस्टर
- 37. पी -2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड
- 38. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, मिथाइल एस्टर
- 39. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, इथाइल एस्टर
- 40. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, प्रोपाइल एस्टर
- 41. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, आइसोप्रोपाइल एस्टर

42. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, ब्यूटाइल एस्टर
43. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, आइसोब्यूटाइल एस्टर
44. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, सेक-ब्यूटाइल एस्टर
45. पी-2-पी मिथाइल ग्लाइसिडिक एसिड, टर्ट-ब्यूटाइल एस्टर ”

[फा. सं. एन-12012/8/2024-एनसी II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

नोट :- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में संख्या सा.का.नि. 191(अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 186(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 536(अ), दिनांक 26 अगस्त, 2020 और सा.का.नि. 792(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2025

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, namely: -

1. (1) This Order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2025.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, in the SCHEDULE, -
- (a) in SCHEDULE-B, after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :-

 - “28. 4-piperidone
 29. 1-boc-4-piperidone,
 30. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, ethyl ester
 31. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, propyl ester
 32. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, isopropyl ester
 33. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, butyl ester
 34. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, isobutyl ester
 35. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, sec-butyl ester
 36. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, tert-butyl ester
 37. P-2-P methyl glycidic acid
 38. P-2-P methyl glycidic acid, methyl ester
 39. P-2-P methyl glycidic acid, ethyl ester
 40. P-2-P methyl glycidic acid, propyl ester
 41. P-2-P methyl glycidic acid, isopropyl ester
 42. P-2-P methyl glycidic acid, butyl ester
 43. P-2-P methyl glycidic acid, isobutyl ester

44. P-2-P methyl glycidic acid, sec-butyl ester
45. P-2-P methyl glycidic acid, tert-butyl ester”
- (b) in Schedule C, after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :-
- “28. 4-piperidone
29. 1-boc-4-piperidone,
30. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, ethyl ester
31. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, propyl ester
32. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, isopropyl ester
33. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, butyl ester
34. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, isobutyl ester
35. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, sec-butyl ester
36. 3-4-MDP-2-P methyl glycidic acid, tert-butyl ester
37. P-2-P methyl glycidic acid
38. P-2-P methyl glycidic acid, methyl ester
39. P-2-P methyl glycidic acid, ethyl ester
40. P-2-P methyl glycidic acid, propyl ester
41. P-2-P methyl glycidic acid, isopropyl ester
42. P-2-P methyl glycidic acid, butyl ester
43. P-2-P methyl glycidic acid, isobutyl ester
44. P-2-P methyl glycidic acid, sec-butyl ester
45. P-2-P methyl glycidic acid, tert-butyl ester”

[F. No. N-12012/8/2024-NC. II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Note.- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.191(E), dated the 26th March, 2013 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 186(E), dated the 27th February, 2018, G.S.R. 536(E), dated the 26th August, 2020 and G.S.R. 792(E), dated the 26th October, 2022.